



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)

(सं० पटना 483) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०-01-08/2020-4382/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 14, 2020]

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम-21, 2008) की धारा 4(1) एवं धारा 4 (3) (ख) में संशोधन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम-21, 2008 के धारा-4 में संशोधन।-** (1) बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम-21, 2008) की धारा-4 (1) एवं धारा-4 (3) (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“4. **न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें :-**

“4. (1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले समाप्त होगी, वह कार्यकाल मान्य होगा।

4. (3) (ख) यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझती है तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कार्य अक्षमता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार, विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने, पदधारित करते हुये अन्य लाभकारी नियोजन में रहने के कारण उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये हटाया जा सकेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पी० सी० चौधरी,

सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०-01-08/2020-4383/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पी० सी० चौधरी,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 14, 2020]

Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal (Amendment) Act, 2020.

AN

ACT

for amendment in section 4 (1) and section (3) (b) of Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act 2008 (Bihar Act-21, 2008)

be it enacted by the Legislature of Bihar in the 71st year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.—**

(i) This act may be called as Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration (Amendment) Act, 2020

(ii) It extends to the whole of the State of Bihar.

(iii) This Act shall come into force with effect from the date it is published in the Gazette of the State of Bihar.

2. Amendment in Section 4 of the Bihar Act-21, 2008:-

- (i) Section 4(1) & section 4(3) (b) of Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Act 2008 (Bihar Act-21, 2008) will be substituted by the following:

4. Terms and conditions of service of the Chairman and other Member of Tribunal:-

"4(1) The Chairman and Members of the Tribunal shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes the office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

4(3)(b) The state government may if it thinks so, remove the Chairman or any other Member of the Tribunal (after providing them appropriate opportunity of hearing) for reason of incompetence, laxity in performing the duties, misconduct, passing of order against the law, for engagement in any other paid employment while holding this office."

By Order of the Governor of Bihar,

P.C. Choudhary,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 483-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>